

न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज०)

निर्णय मिसल संख्या/नयाबत /23/20 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

सरकार

बनाम

श्री थानाराम पुत्र मालाराम जाति गुर्जर निवासी बसन्तबिहार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

निर्णय दिनांक:- 07 अक्टूबर 2020

पत्रावली पेश हुई। आवाज पर कोई हाजिर नहीं। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहीर हुआ है, कि पटवारी हल्का खरखड़ा के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि ग्राम बसन्तबिहार स्थित राजकीय भूमि ख०न० 114, 115, 272 के रकबा 0.04 है०, 0.50 है०, 3.88 है०, 1.23 है०, 2.65 है०, में से रकबा 0.04 है०, 0.50 है०, 1.46 है० किस्म बारानी-1 में जोत व मूंगफली कास्त श्री थानाराम पुत्र मालाराम जाति गुर्जर निवासी बसन्तबिहार के द्वारा अतिक्रमण कर लिया है।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस के जवाब में गैर सायल ने जाहीर किया है कि उनके द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है तथा उक्त भूमि पर उनका कब्जा 60-70 वर्षों से चला आ रहा है। पुराना कब्जा होने की बाबत कोई सबूत होना नहीं बताया है। आज गैरसायल हाजिर भी नहीं है। कोई सबूत आदि भी प्राप्त नहीं हुये है। इस प्रकार गैर सायल की अदम हाजिरी में एकतरफा कार्यवाही के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

अतः गैर सायल की अदम हाजिरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर, मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल किया जाता है। तथा सरह लगान 12.36 रूपया का 50 गुणा= 618 / रूपये तावान कायम एवं वसूल का आदेश दिया जाता है। टी०आर०ए० एवं पटवारी हल्का को वसूली हेतु मांग कायमी करवाई जावे। भू अभिलेख निरीक्षक तथा पटवारी हल्का के नाम भौतिक मौका बेदखली हेतु आदेश जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो, तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

नायब तहसीलदार
खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज०)



रा. ले. सं. 4 वर्ष 20-21
पृष्ठ नं. 23 परासि 618/
कायम की गई।
तहसील राजस्व लेखाकार
24-12-20